FORM - 15 [see rule 70N(4)(c)]

LARGE COVER "B"

To be used at Election to Mayor from Municipal Corporation Or election to member from Ward Number of Municipal Corporation	
COVER "B"	SERVICE UNPAID
Every Officer under whose care or through whom a postal ballot paper is	
sent shall ensure its delivery to the address without delay. [Rule 51A(4)]	
<u>ELECTION – IMMEDIATE</u>	
Postal Ballot Paper For election to Mayor from Municipal Corporation Or election to member from Ward Number of Municipal Corporation	
(NOT TO BE OPENED BEFO	ORE COUNTING)
To The Returning Officer **	
Signature of the Sender	

- * Returning Officer to insert here the appropriate particulars of the Ward.
- ** Returning Officer to mention here the full address.

प्ररूप — 15 [देखिए नियम 70ढ 4(ग)]

बड़ा लिफाफा "ख"

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी वार्ड संख्या से सदस्य के चुनाव में प्रयोग किया जाये।	
लिफाफा "ख" सरकारी बिना टिकट	
प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब पते	
पर इसका वितरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 51क (4)}	
निर्वाचन—अविलम्ब	
डाक मतपत्र	
नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी वार्ड संख्या से सदस्यके चुनाव के लिये।	
(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)	
सेवा में	
रिटर्निंग अधिकारी	
**	
भेजने वाले के हस्ताक्षर	

- * रिटर्निंग अधिकारी यहां पर वार्ड के समुचित ब्योरे लिखें।
- ** रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।